

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना कीमू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लो०नि०वि०, को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग पी०ए०जी०ए०स०वाई के अन्तर्गत लीती गोगिना मोटर मार्ग के अन्त से प्रारम्भ होता है जो गोगिना, जूनियर हाईस्कूल गोगिना, गोगिनापर्थी, कोटिबुला एवं कीमू ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 1807 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गोव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएंगी। गोव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गोव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह सरेखण सिविल सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। सरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी० तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है। मार्ग के निर्माण में 1.050 हेक्टेयर सिविल भूमि एवं 1.400 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम सरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं०-१ इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का सरेखन पी०ए०जी०ए०स०वाई के अन्तर्गत लीती गोगिना मोटर मार्ग के अन्त से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी० है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 8 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से येड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस सरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं०-२ इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल पी०ए०जी०ए०स०वाई के अन्तर्गत लीती गोगिना मोटर मार्ग के अन्त से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 7.300 किमी० आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 10 हियरपिन बैण्ड आते हैं तकनीकी दृष्टि से येड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखन नं०-२ को निरस्त कर समरेखन नं०-१ को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.050 है० एवं वन पंचायत 1.400 है० भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी० व चौड़ाई 7 मी० में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,

आयोगी अभियन्ता
ग्रामवासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,